UPAL010082202022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–17,अलीगढ़।
सत्र परीक्षण संख्या 10 / 2012
राज्य बनाम बबलू।

धारा 307 भा0 दं0 सं0
थाना लोधा, अलीगढ़।

26–11–2024: पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त बबलू अनुपस्थित। बार–बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि आदेश दिनांकित 03.10.2024 के द्वारा अभियुक्त बबलू को फरार घोषित किया गया और उसके विरूद्ध धारा–299 दण्ड प्रंक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया था। उक्त तिथि के उपरान्त विगत 6 तिथियों व्यतीत होने पर भी अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त परिस्थित में अनिशिचित अवधि तक पत्रावली को विलम्बित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त बबलू के विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारन्ट निर्गत हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अभिलेखागार को आदेशित किया जाता है कि वह पत्रावली पर रिकार्ड विनिष्ट(**Weed Out**) न करें। अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर पत्रावली अभिलेखागार से तलब कर वास्ते सुनवाई हेतु पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–17, अलीगढ़।

Digitally signed by RAVISH KUMAR ATTRI
Date: 2024.11.26 15:56:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court